

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

प्रस्तावित NFSA संशोधन 2026: अंत्योदय के
अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

www.nextias.com

प्रस्तावित NFSA संशोधन 2026: अंत्योदय के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में एक प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभ को प्रति परिवार 35 किग्रा से घटाकर प्रति व्यक्ति 7 किग्रा करना है (प्रति परिवार अधिकतम 35 किग्रा की सीमा के अधीन)। छोटे और वंचित परिवारों को सहायता कम होने की चिंता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा और इसकी कानूनी स्थिति

- खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता, पहुँच, वहनीयता और पोषण संबंधी पर्याप्तता शामिल हैं।
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख साधन बनी हुई है।
- NFSA, 2013 ने खाद्य सब्सिडी को मुख्यतः कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित अधिकारिता में परिवर्तित कर दिया।
- यह ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है, जिसके तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जबकि AAY परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा मिलता है।

संवैधानिक आयाम

- भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भोजन के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से **PUCL बनाम भारत संघ** के भोजन के अधिकार संबंधी मामलों के माध्यम से इसे अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) में शामिल किया है।
- अनुच्छेद 39(b)** और 47 संसाधनों के समान वितरण तथा पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करते हैं।

एनएफएसए (NFSA) के प्रमुख प्रावधान

अधिनियम में नमिलखिति प्रावधान हैं:

- TPDS के माध्यम से अधिकार-आधारित खाद्यान्न अधिकारिता;
- सबसे गरीब वर्ग—अंत्योदय परिवारों—को विशेष संरक्षण;
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता;
- मातृत्व लाभ और शिकायत-निवारण तंत्र;
- सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता और सतर्कता समितियाँ तथा अधिक जवाबदेही;
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) की घोषणा वर्ष 2000 में सबसे गरीब लोगों को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें गरीब व्यक्ति और ऐसे परिवार शामिल थे जिनमें कोई कमाने वाला सदस्य नहीं था।

प्रस्तावित संशोधन, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रस्तावित परिवर्तन AAY परिवारों की मौजूदा 35 किग्रा प्रति परिवार की अधिकारिता को समाप्त कर प्रति व्यक्ति 7 किग्रा की व्यवस्था लागू करेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 35 किग्रा होगी।

- परिणामस्वरूप पाँच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों पर बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होगा। छोटे परिवारों के लिए बड़ी कटौती होगी।
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 के अनुसार, अनुमानित 53% AAY परिवारों में पाँच से कम व्यक्ति हैं।
- इसके अलावा एक सदस्यीय AAY परिवार को 35 किग्रा के बजाय केवल 7 किग्रा मिलेगा, अर्थात 80% की कमी।
- इसलिए अकेली रहने वाली महिलाएँ, बुजुर्ग दंपति, विधवाएँ और दिव्यांग व्यक्ति असमान रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

प्रस्तावित परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है?

- मुख्य मुद्दा यह है कि AAY केवल खाद्य-वितरण योजना नहीं है; यह लक्षित सामाजिक-सुरक्षा तंत्र है।
- छोटे परिवारों में अक्सर कोई कमाने वाला सदस्य और आय के अन्य स्रोत नहीं होते।
- इसलिए मासिक राशन एक आर्थिक संसाधन है, जिसका उपयोग अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, या जिसे बदला अथवा बेचा जा सकता है।
- AAY श्रेणी के भीतर प्रति व्यक्ति अधिकारिता का समानकरण सबसे अधिक वंचित लोगों के लिए अलग श्रेणी बनाने के पूरे उद्देश्य को विफल कर सकता है।
- इसके अलावा, प्रस्तावित बचत भारत के कुल खाद्यान्न भंडार की तुलना में बहुत कम है। जब सबसे गरीब परिवारों की अधिकारिता को मुख्य रूप से मामूली राजकोषीय या खाद्यान्न बचत के लिए कम किया जाता है, तो वितरणात्मक न्याय का प्रश्न उठता है।

प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

- छोटे परिवारों की संवेदनशीलता:** AAY का उद्देश्य विशेष रूप से कम आय अर्जित करने की क्षमता वाले परिवारों की सुरक्षा करना है। प्रति व्यक्ति आधारित व्यवस्था उनके लिए नुकसानदायक होगी।
- लैंगिक प्रभाव:** अकेली रहने वाली महिलाएँ, विशेष रूप से विधवाएँ, कम आय, अशिक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता के कारण असमान रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
- समावेशन-बहिष्करण संबंधी त्रुटियाँ:** AAY सूचियाँ आमतौर पर पुरानी होती हैं और बदलती पारिवारिक परिस्थितियों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती हैं।
- समानता बनाम न्यायसंगतता:** समानता या बराबरी। अलग-अलग परिवारों के साथ समान व्यवहार करने से असमान और अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
- वास्तविक समानता का विचार अधिक वंचित लोगों के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ रखता है।
- पोषण संबंधी चिंताएँ:** केवल खाद्यान्न सुरक्षा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती; इसलिए दालों, खाद्य तेल और आहार विविधता की आवश्यकता है।

संबंधित प्रयास और पहल

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** जो वर्तमान में NFSA लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है;

- **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC):** जो प्रवासियों के लिए लाभों को पोर्टेबल बनाता है;
- PDS में डिजिटलीकरण और ePoS प्रणालियाँ तथा पोषण अभियान, पीएम पोषण और आईसीडीएस जैसी पोषण संबंधी पहल।
- इनसे भारत में खाद्य सुरक्षा अधिक मजबूत हुई है।

आगे की राह: AAY में सुधार और सुदृढ़ीकरण

- AAY के लाभों में कटौती करने के बजाय सरकार को:
- AAY सूचियों को अद्यतन करने के लिए पारदर्शी और समय-समय पर पहचान प्रक्रिया अपनानी चाहिए;
- पुराने राशन कार्डों को मनमाने ढंग से रद्द किए बिना समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना चाहिए;
- सभी गरीब परिवारों को AAY के अंतर्गत शामिल करना चाहिए;
- AAY कार्डों की संख्या बढ़ानी चाहिए;
- संवेदनशील छोटे परिवारों के लिए 35 किग्रा की अधिकारिता बनाए रखनी चाहिए;
- पोषण सुरक्षा के लिए दालों और खाद्य तेल को शामिल करना चाहिए;
- सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण और जनभागीदारी को मजबूत करना चाहिए;
- बहिष्करण के बजाय समावेशन सुनिश्चित करना चाहिए तथा वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए डिजिटल आधार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए; और
- खाद्य कीमतों, मुद्रास्फीति और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में अधिकारिताओं की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए।

स्रोत: IE

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण करते हुए इसे अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।

